

खनन सत्र 2025-26 अथवा EC व FC समाप्ति की तिथि तक जो पहले हो
खनन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत कोसी एवं दाबका नदी में उपखनिज गेटों
हेतु शुद्ध पेयजल आपूर्ति तथा गेटों में छिड़काव हेतु निविदा फार्म
 (फार्म मूल्य- रु0 1180.00 जी0एस0टी0 सहित)

1. निविदादाता की जी0एस0टी0 संख्या -

2. स्थायी खाता संख्या (PAN).....

3. आधार संख्या.....

4. जमा अर्नेस्ट मनी का विवरण:-

एफ0डी0आर संख्या बैंक का नाम शाखा.....

दिनांक धनराशि.....

कार्य विवरण	गेट का नाम	टैकर वाहन की पंजीकरण संख्या (आर0 सी0 में दर्ज)	निविदा दर रुपये प्रति चक्कर समस्त व्ययों व 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित	
			अंकों में	शब्दों में
वाणिज्यिक (Commercial) ट्रैक्टर-टैकर अथवा ट्रक-टैकर से दाबका, कालूसिद्ध, खडंजा, कठियापुल, बंजारी प्रथम व बंजारी द्वितीय गेट के आस-पास आवश्यकतानुसार पानी छिड़काव तथा पेयजल आपूर्ति ।	दाबका			
	कालूसिद्ध			
	खडंजा			
	कठियापुल			
	बंजारी प्रथम			
	बंजारी द्वितीय			

नोट:-

- उपरोक्त में जिस गेट हेतु दरें देनी हैं उसी गेट के आगे निविदा दर का उल्लेख किया जाए।
- मेरे/हमारे द्वारा निविदा शर्तें 1 से 39 तक भली-भांति पढ़ एवं समझ ली गयी हैं। उक्त निविदा शर्तों के साथ ही शासन एवं वन विभाग/वन विकास निगम द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के पालन हेतु बाध्य रहूंगा/रहेंगे।

निविदादाता का नाम /हस्ताक्षर/मोहर

निविदादाता का पूरा पता

फोन नं0/मो0.....

खनन सत्र 2025-26 अथवा EC व FC समाप्ति की तिथि तक जो पहले हो खनन प्रभाग रामनगर के
अन्तर्गत उपखनिज निकासी गेटों में पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव हेतु आमन्त्रित निविदा की शर्तें एवं
कार्य विवरण:-

रामनगर खनन प्रभाग के अन्तर्गत खनन सत्र 2025-26 में नदी क्षेत्र में उपखनिज चुगान के कार्य में लगे श्रमिकों, कार्यरत कर्मचारियों, वाहन चालकों आदि को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल आपूर्ति एवं धूल बचाव के लिये उपखनिज निकासी गेटों के आस-पास वाहन मार्गों पर पानी छिड़काव हेतु इच्छुक उद्यमियों से निविदाएं दिनांक-19 दिसम्बर 2025 सायं 5:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक-26 दिसम्बर 2025 को अपराह्न 02:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष अधिकृत समिति/ नामित प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेंगी। निविदा फार्म एवं शर्तें दिनांक-12 दिसम्बर 2025 से उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट <http://www.uaafd.in/tenders.html> से डाउनलोड कर सकते हैं निविदा शुल्क रु0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी रु0) जी0एस0टी0 सहित का बैंक ड्राफ्ट जो प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर के पदनाम जारी हो का निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, निविदाएं निर्धारित समय तक कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है।

कार्य विवरण:-

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	कार्य विवरण/गेट का नाम	अनुमानित आवश्यकता	अर्नेस्ट मनी (रु0 में)
1	खनन प्रभाग रामनगर	दाबका, कालूसिद्ध, खडंजा, कठियापुल, बंजारी प्रथम व बंजारी द्वितीय गेट के आस-पास आवश्यकतानुसार पानी छिड़काव तथा पेयजल आपूर्ति।	प्रत्येक गेट हेतु प्रतिदिन 01 चक्कर पीने हेतु एवं 01 चक्कर छिड़काव हेतु।	रु0-20000.00 (बीस हजार) मात्र (राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा/ F.D.R)

निविदा हेतु शर्तें:-

- उपरोक्त में इस प्रभाग के गेटों हेतु प्रति चक्कर जिसमें पानी छिड़काव एवं पेयजल आपूर्ति दोनों के लिये एक समान दरें देनी होंगी। निर्धारित निविदा शुल्क रु0 1180.00 (एक हजार एक सौ अस्सी) जी0एस0टी0 सहित का बैंक ड्राफ्ट तथा निर्धारित अर्नेस्ट मनी रु0 20000.00 (बीस हजार) मात्र की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर जमा करनी आवश्यक है, अन्यथा निविदा प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दी जाएगी तथा निविदा को अमान्य घोषित किया जायेगा।
- निविदा जमा करने हेतु पता "प्रभागीय प्रबन्धक खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग रामनगर, आमडण्डा डिपो परिसर" है।
- निविदा दर रुपये प्रति चक्कर में समस्त व्ययों व जी0एस0टी0 सहित देनी हैं, निविदा दरें निर्धारित प्रारूप में देना आवश्यक है। यह दरें जी0एस0टी0 सहित होंगी तथा सम्पूर्ण खनन सत्र 2025-26 के लिये लागू मानी जायेगी तथा इस अवधि में दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। निविदा खोलने की तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर तिथि अगला कार्य दिवस होगी।
- शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का है। यदि सरकार/खाद्य विभाग द्वारा किए गए परीक्षण में किसी प्रकार की अशुद्धि/गन्दगी पायी जाती है तो निविदादाता का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा तथा निविदादाता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- जल आपूर्ति टैंकर, वाहनों का वाणिज्यिक (Commercial) श्रेणी का होना आवश्यक है।
- पेयजल एवं जल छिड़काव हेतु आपूर्ति उपखनिज निकासी कार्य आरम्भ होने से खनन सत्र की समाप्ति अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति/वन स्वीकृति की समाप्ति की तिथि जो पहले हो (राजकीय एवं स्थानीय अवकाश दिवस को छोड़कर) तक करनी होगी।
- सफल निविदादाता का उत्तरदायित्व है कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित नियमों का समुचित पालन करें, किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने पर यदि परिवहन विभाग या पुलिस विभाग द्वारा चालान /कार्यवाही की जाती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
- जल छिड़काव टैंकर वाहन द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का होगा। वन विकास निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
- यदि निविदादाता/फर्म द्वारा टैंकर वाहन अनुबन्ध पर लिया गया है तो अनुबन्ध की नोटरीज्ड प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है। निविदादाता/फर्म का स्वयं का टैंकर वाणिज्यिक वाहन होने पर वरीयता दी जायेगी। समस्त प्रपत्र नोटरी से प्रमाणित कराने अनिवार्य हैं।

10. निविदादाता को निविदा के साथ आपूर्ति टैंकर वाहन के आर0सी0, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी पंजीकरण नोटरी से प्रमाणित कराकर छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी तथा उसका पंजीकरण नंबर निविदा फार्म में अंकित करना होगा। टैंकर वाहन की आर0सी0 तथा प्रपत्रों में यदि किसी प्रकार की असत्यता पायी जाती है तो कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता की जिम्मेदारी है कि अस्पष्ट प्रपत्र संलग्न न किये जाएं। मांगे जाने पर उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
11. प्रत्येक गेट पर तथा उपखनिज चुगान क्षेत्र में पूरे दिन पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था टैंकर वाहन के माध्यम से करना निविदादाता/आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है। टैंकर वाहन में स्वच्छ व शुद्ध पेयजल हो तथा टैंकर वाहन टैब वाला हो जिससे पानी निकालने या पीने में असुविधा न हो, यह भी निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। निविदादाता/आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक दिन टैंकर वाहन की साफ-सफाई की व्यवस्था कराएगा। पेयजल में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर क्लोरीन टैबलेट अथवा क्लोरीन का प्रयोग किया जाय।
12. एक टैंकर वाहन द्वारा छिड़काव हेतु प्रयोग अधिकतम दो निकटतम गेटों पर ही किया जा सकता है, दो निकटतम गेट इस प्रकार होंगे—1.बंजारी प्रथम तथा बंजारी द्वितीय 2.खड्जा तथा कठियापुल 3.कालूसिद्ध तथा दाबका।
13. निविदा निर्धारित प्रपत्र में एक ही स्याही तथा एक ही लिपि में लिखी होनी आवश्यक है। कटिंग व ओवर राइटिंग मान्य नहीं है।
14. निविदा सीलबंद लिफाफे में होनी चाहिए। लिफाफे के ऊपर "पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव" लिखा होना आवश्यक है।
15. निविदादाता (व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संस्था/समिति) द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु सील बंद निविदा निर्धारित फार्म में स्वहस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर प्रेषित की जानी है।
16. विलम्ब से प्राप्त निविदा के लिये उत्तराखण्ड वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जाएगा।
17. टैंकर वाहन की क्षमता न्यूनतम 6000 लीटर होना आवश्यक है। निविदा स्वीकृति का आधार न्यूनतम निविदा होगी।
18. यदि किसी गेट हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा दर अधिक प्रतीत होगी तो दरों में नैगोशिएशन किया जाएगा।
19. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर0 जो कि "प्रभागीय प्रबन्धक खनन, उत्तराखण्ड वन विकास निगम रामनगर" के पदनाम बंधक हो, को संलग्न करना अनिवार्य है। बिना अर्नेस्ट मनी के निविदा प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दी जायेगी।
20. बिना निर्धारित अर्नेस्ट मनी के निविदा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता को बारिश के दिन एवं अवकाश के दिन पानी छिड़काव की आवश्यकता नहीं है एवं यदि करता है तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
22. मौके पर पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव वन विकास निगम के सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी अथवा गेट इंचार्ज की देखरेख एवं उनकी मांग के अनुसार करना होगा। सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा संतोषजनक कार्य करने का प्रमाण पत्र सहित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
23. निविदादाता को भुगतान से पूर्व अपना बिल (Invoice) प्रस्तुत करना होगा। तभी भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
24. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
25. ट्रैक्टर-टैंकर वाहनो अथवा ट्रक-टैंकरों को कार्य की आवश्यकता को देखते हुए निर्धारित चक्कर से अधिक/कम चक्कर लगाने पड सकते हैं, जिसका चक्करों के हिसाब से भुगतान स्वीकृत दरों पर किया जायेगा।
26. आपूर्ति टैंकर वाहन को समय-समय पर सैनेटाईज किया जाना अनिवार्य है तथा वाहन में पर्याप्त एल्कोहल बेस्ड सैनेटाईजर रखा जाय। वाहन चालक तथा सहयोगी स्टाफ द्वारा मास्क पहनकर ही आपूर्ति की जाये।
27. सफल निविदादाता को पेयजल आपूर्ति एवं छिड़काव का आदेश एवं भुगतान अनुभाग अधिकारी की संस्तुति पर किया जायेगा।
28. भुगतान में नियमानुसार स्रोत पर आयकर व अन्य करों की कटौती की जायेगी।